

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

रायचन्द्र

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 338/2015

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
हुक्म  
की तामील  
में जारी हुए

07.215

तहसील वादी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 86, 87, 123, 128 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 167-01 बीघा में जोगा पुत्र घोला दर्ज हैं। मेरे पिता व दादा फौत हो चुके हैं। वास्तविक नाम जोगाराम पुत्र खंगारराम हैं। सबूत में वादी रायचन्द्र ने पहचान-पत्र, राशनकार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

राजस्व लोक अदालत में गजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 86, 87, 123, 128 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 167-01 बीघा में वादी के पिता व दादा का नाम जोगा पुत्र घोला दर्ज है जबकि सबूत के आधार पर जोगाराम पुत्र खंगारराम बखूबी साबित है। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र, राशनकार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। जोगा पुत्र घोला के स्थान पर जोगाराम पुत्र खंगारराम को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 86, 87, 123, 128 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 167-01 बीघा भूमि में जोगा पुत्र घोला के स्थान पर जोगाराम पुत्र खंगारराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल गिराल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना गंगवाई जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

  
SDO

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

रायचन्द्र पुत्र जोगाराम  
जाति-सीरवी,  
निवासी-चावण्डियाकलां  
तहसील-जैतारण, जिला-पाली  
(सज.)

सरकार तरिये तहसीलदार  
जैतारण

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 338/2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 86, 87, 123, 128 कुल किता 04 कुल रकबा 167-01 बीघा भूमि में जोगा पुत्र चोला के स्थान पर जोगाराम पुत्र खंगारराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नगबर से कम हो। वाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें गय रूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिस्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल रोबा केन्द्र चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड उपसहायक जरी, खसारी  
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महलताना वकील		
महलताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			गुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।